इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 मार्च 2021—चैत्र 9, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. 4881-159-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २०२१

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ७ का स्थापन.
४. धारा ९क का अंत:स्थापन.
५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २०२१

[''दिनांक २६ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २० सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ञ-क) ''प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;''.

धारा ७ का स्थापन. ३. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के अधिकारी. ''७. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(१) कुलाधिपति
(२) कुलपति
(३) प्रति कुलपति
(४) निदेशक
(५) कुल सचिव
(६) वित्त अधिकारी और
(७) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए.''.

धारा ९क का अंत:स्थापन. ४. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

प्रति कुलपति. ''९क. कुलपति किसी एक प्राध्यापक को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा, जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति. ५. (१) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, २०२१ (क्रमांक ८ सन् २०२१) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. 4881-159-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2021 (क्रमांक 6 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 6 OF 2021

THE MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY AMENDMENT ACT, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Substitution of Section 7.
4. Insertion of Section 9A.
5. Repeal and savings.

MADHYA PRADESH ACT
No. 6 OF 2021

THE MADHYA PRADESH BHOJ (OPEN) UNIVERSITY AMENDMENT ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th March, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Amendment Act, 2021.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act), after clause (j), the following clause shall be inserted, namely :—

"(j-a) Pro-Vice-Chancellor" means Pro-Vice-Chancellor of the University nominated by the Vice-Chancellor as prescribed in Section 9A of the Act;".

Substitution of Section 7.

3. for Section 7 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—

Officers of the University.

"7. The following shall be the officers of the University, namely :—

(1) The Kuladhipati

(2) The Kulpati

(3) The Pro-Vice-Chancellor

(4) The Directors

(5) The Registrars

(6) The Finance Officers and

(7) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.".

Insertion of Section 9A.

4. After Section 9 of the principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—

Pro-Vice-Chancellor.

"9A. The Kulpati may nominate one of the Professors as Pro-Vice-Chancellor who shall hold office during the pleasure of the Kulpati and shall perform such function as may be assigned to him by the Kulpati.".

Repeal and saving.

5.(1) The Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Amendment Ordinance, 2021 (No. 8 of 2021) is hereby replealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.